कार्यालय– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला–देहरादून।

संख्या–4236 / नि.–5 / एक(59) / RIDF / 2024–25 दिनांक 07-12-2024

सेवा में,

1–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
नैनीताल / ऊधमसिंहनगर / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़ / चम्पावत / उत्तरकाशी / हरिद्वार।

2–परियोजना निदेशक, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, पशुलोक–ऋषिकेश।

3–आहरण वितरण अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, मुख्यालय

विषयः– नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत ऋण वितरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1885 / XV–1 / 24 / 47272 दिनांक 03–12–2024, द्वारा नाबार्ड पोषित RIDF फेज XXX के अन्तर्गत पशुपालन विभाग की निम्न 12 परियोजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु नाबार्ड द्वारा अवमुक्त मोबेलाईजेशन एडवांस की धनराशि ₹ 946.89 लाख, इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है, को निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन में प्रदिष्ट किया जाता है:–

(धन.लाख ₹ में)

Name of the work	Total Eligible Cost	RIDF Loan Tranche XXX (95%)	State Govt. Contribution (5% of Eligible Cost)	Mobilization Advance Release	Current Allotment
1	2	3	4	5	6
1-Construction of Govt. Pig Breeding Farm at Shyampur Rishikesh Dehradun	429.41	407.93	21.48	122.379	170.829
2-Construction of Broiler Flock at Govt. Rishikesh Dehradun	170.00	161.50	8.50	48.45	
3-Strengthening of Deep Frozen Semen Production Center Shyampur-Rishikesh Dehradun	950.27	902.75	47.52	270.825	270.825
4- Construction of Model Veterinary Hospital Sitarganj US Nagar	443.64	421.45	22.19	126.435	126.435
5-Construction of State level animal disease control Veterinary Hospital Narsan Haridwar	378.00	359.10	18.90	107.73	107.73
6-Construction of Pashu Seva Kendra, Gurna-Pithoragarh	75.00	71.25	3.75	21.375	43.035
7-Construction of Pashu Seva Kendra, Chahaj, Pithoragarh	76.00	72.20	3.80	21.66	
8-Construction of Pashu Seva Kendra, Aadigram Fuloria Almora	59.86	56.86	3.00	17.058	17.058
9-Construction of Pashu Seva Kendra, Mandlak Champawat	70.74	67.20	3.54	20.16	20.16
10-Construction of Pashu Seva Kendra, Dhikuli Nainital	47.00	44.65	2.35	13.395	25.932
11-Construction of Pashu Seva Kendra], Narsinghpur Nainital	44.00	41.79	2.21	12.537	
12-Construction of Residential & Nonresidential building & fencing of Vety.Hospital Purola-Uttarakashi	578.55	549.62	28.93	164.886	164.886
Total	**3322.47**	**3156.30**	**166.17**	**946.89**	**946.89**

1. नाबार्ड ऋण के रूप में अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र सहित नाबार्ड से प्रतिपूर्ति दावा ससमय शासन तथा नाबार्ड को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वे नाबार्ड से समन्वय स्थापित कर ऋण के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से ससमय शासन को भी अवगत करायेंगे। इस

संबंध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर आहरण वितरण अधिकारी/मुख्य अधि. अधि.,यू.एल.डी.बी./कार्यदायी संस्था एजेंसी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

2. अवमुक्त/स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरूपयोग/दोहरीकरण (Doubling) निर्धारित मानको के विपरीत निर्माण कार्य एवं न्यून गुणवत्ता पाये जाने पर आहरण वितरण अधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी. तथा कार्यदायी संस्था पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

3. आहरण वितरण अधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी.द्वारा समय-समय पर किए जा रहे निर्माण कार्य, कार्य की गुणवत्ता एवं उपयुक्तता का निरीक्षण किया जायेगा तथा कार्य निर्धारित मानकों, डिजाईन एवं गुणवत्ता के विपरीत पाये जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा तत्संबंधी जाँच आख्या शासन को भी प्रेषित की जानी आवश्यक होगी।

4. उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि कार्य योजना हेतु अनुबंधित कार्यदायी संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम०ओ०यू० हेतु भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार कार्य की भौतिक प्रगति, उच्च गुणवत्ता एवं सन्तोषजनक कार्य की पुष्टि के पश्चात ही आवश्यकतानुसार भुगतान किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एंव प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006)/दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में शासन की पूर्वानुमति के बिना अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

9. कार्य हेतु अनुमोदित आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के सापेक्ष, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार दर से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

10. धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का विस्तार संबंधी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

11. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

12. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

13. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगंणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. कार्य की प्रगति निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं०-475/XXVII(7)/2008 से दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत धनराशि व्यय करने, कार्य पूर्ण होने पर संबंधित निर्माण कार्य की वित्तीय भौतिक प्रगति, निर्माण कार्य एवं अधिप्राप्ति से संबंधित सामग्री/उपकरणों के फोटोग्राफ्स, उपयोगिता प्रमाण-पत्र

शासन को उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जांय। धनराशि का उपयोग नाबार्ड की RIDF योजना की गाईडलाईन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 के अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक / मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्न–एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(शुभम तोमर)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते–निदेशक।

संख्या–4236 / नि.–5 / एक(59) / RIDF / 2024–25 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप / मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल / ऊधमसिंहनगर / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़ / चम्पावत / उत्तरकाशी / हरिद्वार / ऋषिकेश।
2. मुख्य कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साइबर कोषागार, देहरादून।
3. लेखा / पशुधन / संख्या शाखा, मुख्यालय।
4. उप निदेशक, MIS, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी. / यू.एस.डब्ल्यु.डी.बी.,देहरादून।
6. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी–नैनीताल / पौड़ी।
7. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुधन अनुभाग–1, सचिवालय–देहरादून।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

(शुभम तोमर)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते–निदेशक।